समाहरणालय, रोहतास, सासाराम
(जिला योजना कार्यालय)
–: निविदा आमंत्रण सूचना :–

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद एवं माननीय विधायक से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में रोहतास जिलान्तर्गत विभिन्न पंचायत/ ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाईट के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु MNRE/ब्रेडा के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ब्रेडा के दर के अन्तर्गत अधिकृत उत्पादको/ विक्रेताओं से मुहरबन्द द्वि लिफाफा पद्धति के आधार पर निविदा दिनांक 20.04.2017 के अपराह्न 1:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, रोहतास, सासाराम में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक 20.04.2017 के अपराह्न 4.00 बजे जिला पदाधिकारी, की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

क0	सामग्री की विशिष्टियाँ
1	*2*
1	सोलर लाईट– 07 वॉट, LED सोलर स्ट्रीट लाईट।
2	1. PV Module – 40 Wp under STC, Battery – Lead acid Tubular Flooded or Tubular GEL/VRLA, 12V – 40 AH @ C/10, Light Source – White Light Emitting Diode (W – LED) 7 watt (Max), W-LED luminaire, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optics and diffuser, Light Out Put – Minimum 16 Lux when measured at the periphery of 4 meter diameter from a height of 4 meter. The illumination should be uniform without dark bands or abrupt variations and soothing to the eye. Higher light output will be preferred. Mounting of light – Pole mounted, Minimum 4 meters above the ground level, Electronics Efficiency – Minimum 85% total, Duty Cycle – Dusk to dawn at full brightness, Autonomy – 3 days or Minimum 42 operation hours per permissible discharge.
3	

<u>निविदा की शर्तें</u> :–

1 निविदादाता को तकनीकी एवं वितीय निविदा अलग अलग मुहरबन्द लिफाफा में देना होगा, लिफाफा के उपर स्पष्ट रूप से वितीय एवं तकनीकी निविदा अंकित रहना चाहिए।

2 निविदादाता को अग्रधन के रूप में 25000 रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, रोहतास के पदनाम से देय हो संलग्न करना होगा।

3 किसी भी वित्तीय वर्ष में दो हजार सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन सरकारी प्रतिष्ठान में करने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

4 तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

5 तकनीकी लिफाफा में निविदादाता को स्वयं अभिप्रमाणित वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्थाई लेखा सख्या के साथ गत वर्ष का रिर्टन की प्रति संलग्न करना होगा। साथ ही उसी लिफाफा में निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने संबंधी नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत मूल शपथ पत्र देना अनिवार्य है। निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि निविदा की सभी शर्तें मान्य है। सामग्री आपूर्तिकर्त्ता कंपनी ISO प्रमाणित होना चाहिए। निविदादाता को MNRE का चैनल पार्टनर, भारत सरकार का होना चाहिए या उसकी क्रेडिट रेटिंग SP 3C से कम नहीं होना चाहिए।

6 बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा को स्वीकार नही किया जाएगा।

7 निविदादाता को आदेश निर्गत तिथि के 30 दिनों के अन्दर सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करना होगा, अथवा संबंधित फर्म की अग्रधन की राशि जब्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

8 तकनीकी निविदा में आपूर्ति की जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाईट का तकनीकी विशिष्टिया समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा, एवं वित्तीय निविदा में Specific Item के विरूद्ध अधिकतम दर अंकित करेंगें जो परिवहन व्यय/अधिष्ठापन व्यय एवं सभी करयुक्त होगा।

9 सफल निविदादाता को जिला स्तर पर तकनीकी त्रुटि निराकारण हेतु कार्यालय प्रकोष्ट स्थापित करना आवश्यक होगा।

D:\NIT LETTER SOLAR BREDA.docx\

10 आपूर्ति की सामग्री कम्पनी द्वारा निर्मित मानक के अनुसार है तथा गुणवता युक्त है, का प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाएगी। ब्रेडा के तकनीकी पदाधिकारी से गुणवता की जॉच कराने के पश्चात भूगतान किया जायेगा।

11 5 वर्ष के लिए सामग्री रख–रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। आपूर्तिकर्ता को एस0पी0वी0 स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम का 5 वर्ष तक का रख–रखाव निःशुल्क करना होगा। मरम्मति एवं रिप्लेशमेन्ट संबंधी कार्य सोलर लाईट के अधिष्ठापन स्थान पर ही कराया जायेगा।

12 आपूर्तिकर्ता के सेवाकर्मी प्रत्येक 3 माह पर रूटिन मेन्टेनेंश के लिए सोलर लाईट सिस्टम के अधिष्ठापन स्थान पर जायेगें तथा सिस्टम की सम्पूर्ण जॉच करेगें एवं खराब पार्ट्स को तत्काल बदलेगें। सर्विस टीम को आवश्यक रूप से अंधेरा होने तक वहॉ रूककर यह जॉच करना होगा कि सिस्टम सही रूप से काम कर रहा है अथवा नही।

13 एस0पी0वी0 पैनल की वारंटी आउटपुट पीक वॉट क्षमता के आधार पर ब्रेडा/ एम0एन0आर0ई0 के निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए। पी0सी0यू0/एल0ई0डी0 ल्यूमिनेयर/बैट्री चार्जर/चार्जर कंट्रोलर पर न्यूनतम 03 वर्ष की वारंटी होनी चाहिए। वांरटी अवधि में हुए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति तथा कंपनी द्वारा त्रुटिपूर्ण उत्पादों के बदले नये उत्पाद देकर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा की जानी होगी। यह वारंटी सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम के installation तथा Commissioning (लगाए जाने तथा चालू करने) में शामिल सभी सामग्रियों तथा वस्तुओं पर लागू होती है।

14 प्रत्येक सोलर लाईटिंग पोल पर अनुशंसा करने वाले माननीय सदस्य के नाम से संबंधित एक सूचना पटट् लगाना अनिवार्य होगा।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।